SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

सतत् विकास, लक्ष्य एवं भारतः सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

दीपक पटेल, अनिल कुमार उपाध्याय, पी–एचडी, समाजशास्त्र विभाग
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बुढार, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
दीपक पटेल
अनिल कुमार उपाध्याय, पी–एचडी
E-mail : deepak23081990@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 03/10/2025
Revised on : 05/12/2025
Accepted on : 14/12/2025
Overall Similarity : 04% on 06/12/2025

शोध सार

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत् विकास लक्ष्यों की घोषणा की। दुनिया के सभी देश इन सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने.अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। भारत जो कि एक बहुत ही विशाल, विविधतापूर्ण संस्कृति वाला देश है और भारत में भी इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय कार्यक्रम एवं नीतियां चलाई जा रही हैं जिसके माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। प्रस्तुत अध्ययन में सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति करने में भारत कहां तक सफल रहा है तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन–कौन सी बाधाएं हैं इसका अध्ययन किया गया है। अध्ययन यह दर्शाता है कि जहाँ एक ओर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, गुणवत्तापूर्ण प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति हुई है, वहीं आर्थिक असमानता, लैंगिक असमानता बेरोजगारी और पर्यावरणीय ह्रास जैसी समस्याएँ अभी भी प्रमुख हैं।

मुख्य शब्द

सतत् विकास, सतत् विकास लक्ष्य, पर्यावरणीय संरक्षण, आर्थिक असमानता, सामाजिक विकास.

प्रस्तावना

वर्ष 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की अवधि ख़त्म हो गयी और वर्ष 2015 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में ''सतत् विकास एजेंडा'' के तहत 17 सतत् विकास लक्ष्यों को अंगीकृत किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी को जीवन जीने के लिए योग्य बनाना है। यह लक्ष्य न केवल आर्थिक प्रगति के लिए है बल्कि

सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संरक्षण, गरीबी उन्मूलन जैसे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। सतत् विकास लक्ष्यों का प्रमुख का प्रमुख आधार यह है कि यह पृथ्वी एक घर है और यह सभी की पृथ्वी है और इस पृथ्वी में संसाधन सीमित है इसलिए जो हमारा विकास होना चाहिए वह पर्यावरण अनुकूल, सहयोगात्मक तथा मानव कल्याण के लिए होना चाहिए न कि मानव के लालच की की पूर्ति के लिए।

अध्ययन के उद्देश्य

1. सतत् विकास लक्ष्य से संबंधित प्रमुख बिंदुओं का विशेषण करना।
2. भारत में सतत् विकास लक्ष्य से संबंधित प्रमुख नीतियों एवं कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
3. सतत् विकास लक्ष्य से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन करना।

अध्ययन की आवश्यकता

सतत् विकास की अवधारणा केवल और केवल एक पर्यावरणीय अवधारणा नहीं है बल्कि यह अवधारणा आज सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, आर्थिक संतुलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी जैसी मुद्दों से जुड़ी हुई है। किसी भी देश में यदि आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी, गरीबों जैसी समस्याएं यदि मौजूद हैं तो वह देश तरक्की नहीं कर सकता है इसलिए यह शोध समाजशास्त्रीय अध्ययन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस अध्ययन के द्वारा नीति निर्माता को भी दिशा प्रदान होगी।

अनुसंधान पद्धति

इस अध्ययन में विभिन्न सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े, नीतिगत दस्तावेज से संबंधित आंकड़े आदि शामिल किए गए हैं। अध्ययन का स्वरूप वर्णनात्मक के साथ–साथ विश्लेषणात्मक प्रकृति का है।

सामाजिक परिप्रेक्ष्य

भारत के सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सामाजिक परिप्रेक्ष्य (Social Perspective) सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतत् विकास का मूल आधार केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और समावेशन (social justice, equality and inclusion) भी है। भारत जैसे विविधता–प्रधान समाज में सामाजिक संरचना में जाति, वर्ग, धर्म, और लिंग आधारित विभाजन लंबे समय से विद्यमान हैं। इन सामाजिक तत्वों का प्रभाव सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा और उपलब्धि दोनों पर सीधा पड़ता है।

1. शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण

सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति का प्रमुख आधार केवल और केवल आर्थिक प्रगति नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, लैंगिक समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समावेशन अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त किए बिना हम सतत् विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं।

सतत् विकास लक्ष्य 2015 में लक्ष्य क्रमांक 4 में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2002 में 86 वां संविधान संशोधन किया गया इस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया गया और इसके तहत संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। इसी संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को राज्य का कर्तव्य माना गया तथा इसी संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया जिसमें यह प्रावधान रखा गया कि प्रत्येक माता–पिता या अभिभावक का यह एक मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। भारत में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक गतिशीलता का एक प्रमुख साधन माना जाता है वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को कौशल आधारित, व्यक्तित्व विकास, अधिक समावेशी, व्यावसायिक शिक्षा से युक्त किया गया है।

2. लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण

सतत् विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। वर्ष 2015 से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जैसे सरकारी प्रयासों ने महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज भी यदि हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो यह प्रदर्शित होता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था आज भी समाज में विकास में बाधक तत्त्व के रूप में मौजूद है। वेबर ने अपनी किताब Economy and Society में लिखा है कि "सामाजिक परिवर्तन तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा पाए।"

3. गरीबी और सामाजिक असमानता

भारत में SDG-1 (गरीबी उन्मूलन) और SDG-10 (असमानता में कमी) से जुड़ी सामाजिक चुनौतियाँ आज भी गहरी हैं। योजना आयोग के विभिन्न वर्षो के आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि भारत में गरीबी से संबंधित आंकड़ों में लगातार गिरावट आई है। योजना आयोग के अनुसार वर्ष 1973–74 में 54.9 प्रतिशत गरीबी थी तो 1993–94 में 45.3 प्रतिशत वर्ष 2004–05 में 37.2 प्रतिशत गरीबी थी। भारत में वर्ष 1993 में लकड़ावाला समिति ने गरीबी रेखा को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किया था। शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 किलो कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता का निर्धारण किया गया था। वर्ष 2009 में गठित तेंदुलकर समिति ने मासिक व्यय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। आपने वर्ष 2011.12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रूपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया था। वर्ष 2012 में बनी रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रूपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया था। गरीबी को केवल आय से नहीं मापा जा सकता है बल्कि शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी, रोजगार की कमी, भोजन की कमी, आवास की कमी आदि भी गरीबी का ही रूप है इसलिए UNDP और NITI आयोग ने भारत में बहुआयामी गरीबी को मापने के लिए मल्टी डाइमेंशनल इंडेक्स (M. D. I.) तैयार किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)] मनरेगा (MGNREGA), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि ऐसी योजनाएं हैं, जिन्होंने भारत से बहु आयामी गरीबी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन (Amartya Sen) अपनी पुस्तक Development as Freedom में कहते हैं कि "विकास का उद्देश्य केवल आय बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों की क्षमताओं (capabilities) को विकसित करना है।" भारत में गरीबी, जातिगत असमानता और शिक्षा के अभाव से उत्पन्न सामाजिक बहिष्करण (Social Exclusion) सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति को सीमित करता है। SDG India Index (NITI Aayog, 2023-24) के अनुसार SDG-1 (गरीबी उन्मूलन) का राष्ट्रीय स्कोर 70–100 है। सर्वोत्तम राज्यः केरल (95), गोवा (92) हैं अर्थात् इन राज्यों में गरीबी बहुत ही कम है जबकि बिहार का स्कोर (52) और झारखंड का स्कोर (55। है। यह स्कोर यह बताता है कि गरीबी में क्षेत्रीय असमानता अभी भी बनी हुई है।

आर्थिक परिप्रेक्ष्य में सतत् विकास लक्ष्य एवं भारतः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

सतत् विकास लक्ष्य एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए आर्थिक संपन्नता आवश्यक है क्योंकि आर्थिक संपन्नता केवल आय में ही वृद्धि नहीं करती है बल्कि यह सामाजिक समावेशन, सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं रोजगार में समान अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत की अर्थव्यवस्था के तीव्र गति से बढ़ने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक असमानता के दौर से गुजर रही है। ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट (2023) के अनुसार देश की शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी कुल संपत्ति का लगभग 77 प्रतिशत हिस्सेदार है। आर्थिक असमानता समाज में सामाजिक वंचना, सामाजिक बहिष्करण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव आदि समस्याएं पैदा करती है। मनरेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि ऐसी योजनाएं हैं जो समाज में आर्थिक असमानता को खत्म करती हैं तथा सभी लोगों को समानता के साथ जीने का अवसर प्रदान करती है।

भूमिका

सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals - SDGs) का आर्थिक परिप्रेक्ष्य भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समावेशी (inclusive) और न्यायपूर्ण (equitable) विकास की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में स्वीकृत 17 सतत् विकास लक्ष्यों में से कई लक्ष्य भारत की आर्थिक नीतियों और योजनाओं से सीधे रूप में जुड़े हुए हैं जैसे गरीबी उन्मूलन (Goal 1), भूखमरी समाप्त करना (Goal 2), सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि (Goal 8), असमानता घटाना (Goal 10) आदि।

1. आर्थिक असमानता और समावेशी विकास

भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ने के बावजूद असमानता (inequality) की गहरी खाई से जूझ रही है। ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट (2023) के अनुसार, देश की शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी कुल संपत्ति का लगभग 77 प्रतिशत हिस्सेदार है। इस असमानता को कम करने के लिए सतत् विकास लक्ष्य संख्या 10 (असमानता में कमी) भारत के लिए केंद्रीय भूमिका निभाता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तोए यह असमानता केवल आय की नहीं, बल्कि अवसरों की असमानता (Inequality of opportunity) भी है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तकनीकी पहुंच। भारत सरकार की ''प्रधानमंत्री जनधन योजना'' और ''डिजिटल इंडिया'' जैसे प्रयास सामाजिक–आर्थिक समावेशन (socio-economic inclusion) की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

2. गरीबी उन्मूलन और सतत् आजीविका

गरीबी उन्मूलन एवं भारत की आर्थिक नीतियां दोनों एक–दूसरे से संबंधित है। नीति आयोग 2022 के आंकड़ों के अनुसार 2005 से 2020 के बीच लगभग 415 मिलियन लोगों ने बहुआयामी गरीबी (multidimensional poverty) से बाहर आ गए लेकिन फिर भी ग्रामीण एवं नगरीय भारत में बेरोजगारी एवं रोजगार की अनिश्चितता अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह देखा गया है कि आर्थिक गरीबी केवल आय का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक वंचना (social deprivation) से भी जुड़ा है। ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)'' जैसी योजनाएँ न केवल रोजगार उपलब्ध कराती हैं, बल्कि ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता और सामूहिकता की भावना को भी मजबूत करती हैं।

3. आर्थिक वद्धि और पर्यावरणीय संतुलन

आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण आधार होती है लेकिन जब यह वृद्धि पर्यावरण को ताक में रखकर की जाती है तो पर्यावरण को क्षति पहुंचती है तथा पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भारत 21वीं सदी में विश्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। IMFK (2024) के अनुसार भारत की जी.डी.पी. दर 7.3 प्रतिशत रही है, जबकि विश्व की औसत जी.डी.पी. केवल 2.9 प्रतिशत ही रही है लेकिन यह बात भी सही है कि इस तीव्र आर्थिक वृद्धि की कीमत भारत पर्यावरणीय असंतुलन के रूप में चुका रहा है। नीति आयोग 2023 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत जल स्रोत प्रदूषित जल स्रोत की श्रेणी में आते हैं और 600 मिलियन भारतीय जल संकट से प्रभावित हैं। फॉरेस्ट सर्वे इंडिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन क्षेत्रफल 24.62 प्रतिशत है, जबकि सतत् विकास लक्ष्य 15 के अनुसार यह 33 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

4. लैंगिक समानता और आर्थिक भागीदारी

भारत एक विकासशील देश है और इस देश में आर्थिक क्षेत्र में अभी भी महिलाओं की भागीदारी कम है, अर्थात् आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक समानता नहीं है। लैंगिक क्षेत्र में आर्थिक समानता आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। World Economic Forum's Global Gender Gap Report (2024) के अनुसार, भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। यह स्थिति SDG-5 (Gender Equality) और SDG-8 (Decent Work and Economic Growth) दोनों के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है।

आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता होने से अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होता है। यू.एन. वूमेन (2024) के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता के कारण प्रतिवर्ष लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक नुकसान होता है।

- भारत में आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में बाल देखभाल केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं।
- तकनीकी क्षेत्र में कार्य करने के लिए महिलाओं की प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
- STEM क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में सतत् विकास लक्ष्य एवं भारतः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

सतत् विकास से तात्पर्य केवल पर्यावरण को संरक्षित करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि सतत् विकास की अवधारणा प्रकृति और मानव दोनों के सह अस्तित्व एवं विकास से संबंधित है। सतत् विकास लक्ष्य से संबंधित कई लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है जिसमें लक्ष्य 6 ''स्वच्छ जल और स्वच्छता'' से संबंधित है, लक्ष्य 7 ''सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा'' से संबंधित है। लक्ष्य 13 ''जलवायु कार्रवाई'' लक्ष्य 14 ''जलमंडल जीवन'' और लक्ष्य 15 ''स्थलमंडल जीवन'' से संबंधित है ।

1. पर्यावरण और समाज के पारस्परिक संबंध

समाज और पर्यावरण दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। मानव समाज का अस्तित्व पर्यावरण पर निर्भर है। अगर पर्यावरण में बहुत ज्यादा असंतुलन उत्पन्न होता है तो इसका दुश्प्रभाव प्रकृति के सभी जीवो पर पड़ता है। पर्यावरण का संरक्षण समाज की नीतियों और व्यवहार पर निर्भर करता है।

नीति आयोग SDG India इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत ने SDG-13 (जलवायु कार्रवाई) में औसतन 57 अंक, SDG-15 (स्थलमंडल जीवन) में 63 अंक और SDG-6 में 67 अंक प्राप्त किया। यह अंक पर्यावरणीय दिशा में सुधार को प्रदर्शित करते हैं।

पर्यावरणीय असंतुलन एवं संकट का बोझ गरीबी एवं हाशिये पर पड़े समुदाय पर पड़ता है इसलिए यह कहा जा सकता है कि सतत् विकास लक्ष्य पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ाने पर बल देता है।

2. जलवायु परिवर्तन और भारत की चुनौतियाँ

जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया की प्रमुख समस्याओं में से एक है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जैसे (CO_2, CH_4, N_2O), हाइड्रोकार्बन गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण जीवाश्म ईंधन (कोयला पेट्रोल डीजल) आदि के अत्यधिक प्रयोग के कारण वनों की कटाई, औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण जलवायु परिवर्तन में बढ़ोतरी होती जा रही है।

भारत में जलवायु परिवर्तन की स्थिति गंभीर है। आई.एम.डी. 2022 के अनुसार पिछले 100 वर्षों में भारत के औसत तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आई.पी.सी.सी. रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के तटीय क्षेत्र में समुद्र का स्तर प्रति वर्ष लगभग 3 मीमी बढ़ रहा है। भारत में जलवायु परिवर्तन में संतुलन लाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC) बनाया।

3. औद्योगिकीकरण और पर्यावरणीय असंतुलन

आर्थिक विकास की तेज रफ्तार ने औद्योगिकीकरण एवं नागरीयकरण को बढ़ावा दिया और इसी औद्योगिकीकरण ने भारत में पर्यावरणीय संरक्षण के ढांचे को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। सतत् विकास लक्ष्य का एक प्रमुख लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण भी है।

भारत में औद्योगिक विकास तो हुआ है लेकिन इस औद्योगिक विकास ने पर्यावरण में बहुत संतुलन भी पैदा किया है। सी.पी.सी.बी. 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल वायु प्रदूषण का लगभग 40 प्रतिशत योगदान

औद्योगिक उत्सर्जन का है। औद्योगिक क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड SO_2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO_2 गैसे और कार्बन डाइऑक्साइड CO_2 जैसी गैसें वायुमंडल में वायु की गुणवत्ता को खराब करती हैं।

भारत में जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। नीति आयोग 2022 के अनुसार भारतीय उद्योग प्रतिदिन लगभग 12 अरब लीटर अपशिष्ट जल नदियों में छोड़ते हैं और इसी कारण हमारी नदियाँ गंगा, यमुना बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।

4. पर्यावरणीय न्याय और सामाजिक असमानता

पर्यावरणीय न्याय से तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को शुद्ध हवा, शुद्ध जल, सुरक्षित भूमि तथा एक स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए लेकिन आज वर्तमान समय में पूरी दुनिया में वायु, जल, पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। पर्यावरणीय क्षेत्र में सामाजिक असमानता आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, निम्न आर्थिक वर्ग के लोगों को अत्यधिक प्रभावित करती है क्योंकि औद्योगिक एवं खनन परियोजनाएं जहां स्थापित होती हैं वहां अक्सर आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रभावित होते हैं। नीति आयोग 2019 के आंकड़ों के अनुसार गरीब परिवारों में एक व्यक्ति प्रतिदिन 55 से 70 लीटर तक पानी का उपयोग करता है जबकि संपन्न वर्ग के परिवारों में एक व्यक्ति प्रतिदिन 135 से 250 लीटर तक पानी का उपयोग करता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत खनिज संसाधन उन क्षेत्रों में हैं जहां पर आदिवासी समुदायों की जनसंख्या लगभग 25 प्रतिशत से अधिक है, और यही कारण है कि इन सामुदायिक क्षेत्र में खनिज संसाधन से संबंधित परियोजनाएं जब भी लगाई जाती हैं तो इसके कारण वहां के लोगों को विस्थापन, प्रदूषण तथा आजीविका का संकट जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं।

5. नीतिगत पहलु और सामुदायिक भागीदारी

भारत सरकार ने कई पर्यावरणीय नीतियाँ और अधिनियम लागू किए हैं, जैसेः

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986।
- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2022।
- स्वच्छ भारत अभियान।
- नमामि गंगे कार्यक्रम।

इन योजनाओं में सामुदायिक भागीदारी (community participation) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान बताते हैं कि जब स्थानीय समुदाय (जैसे महिला समूह, पंचायतें, युवा संगठन) सीधे पर्यावरण संरक्षण में भाग लेते हैं, तो नीतियाँ अधिक प्रभावी होती हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि सतत् विकास लक्ष्य एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर आधारित है सतत् विकास लक्ष्य के सभी लक्ष्य एक दूसरे से अर्न्तसम्बन्धित हैं। अर्न्तसम्बन्धित होने के कारण सभी लक्ष्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं उदाहरण के लिए गरीबी और भुखमरी एक–दूसरे से संबंधित है सतत् विकास लक्ष्य का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर आवश्यकताओं की पूर्ति करने से है ना की लालच की पूर्ति करने से क्योंकि यह प्रकृति हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है लालच की नहीं सतत् विकास लक्ष्य पूरे मानव समाज में समानता लाने के एक प्रमुख साधन के रूप में देखा जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. Durkheim, Émile (1922) *Education and Sociology*, Free Press, New York.
2. Gadgil, Madhav & Guha, Ramachandra (1995) *Ecology and Equity: The Use and Abuse of Nature in Contemporary India*, Penguin Books, New Delhi.

3. Government of India (2008) *National Action Plan on Climate Change (NAPCC),* Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi.
4. Government of India, Ministry of Commerce (2022) Make in India Report, New Delhi.
5. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (2023) India's Green Growth Strategy, New Delhi.
6. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (2023) State of Environment Report, New Delhi.
7. Ministry of New and Renewable Energy (2023) India's Green Energy Transition, New Delhi.
8. Ministry of Tribal Affairs, Government of India (2021) Tribal Livelihood and Environmental Degradation Report, New Delhi.
9. NITI Aayog (2022) National Multidimensional Poverty Index: A Progress Review, New Delhi.
10. Oxfam India (2023) *Survival of the Richest: The India Story of Inequality,* Oxfam India, New Delhi.
11. Sen, Amartya (1999) *Development as Freedom*, Oxford University Press, Oxford.
12. Singh, J.S. (2002) *The Biodiversity Crisis: A Sociological View,* Macmillan India Ltd., Chennai.
13. UNDP India (2023) *Sustainable Industrial Growth and India's SDG Journey,* UNDP India ,UN House , 55 Lodi Estate, New Delhi.
14. United Nations (2015) *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development,* United Nations, UN Headquarters, New York.
15. Weber, Max (1922) *Economy and Society*, University of California Press, Oakland, USA.
16. World Economic Forum (2024) *Global Gender Gap Report,* World Economic Forum, Geneva.
17. World Health Organization (2022) *Air Quality and Health Report,* World Health Organization, Geneva.

****